संख्या आर.डी.डी./पी.आर.35/07-22225-28787
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

प्रेषित:

1. समस्त ग्राम पंचायत प्रधान,
हिमाचल प्रदेश।

2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

3. समस्त सचिव/पंचायत सहायक,
ग्राम पंचायत, हिमाचल प्रदेश।

शिमला-171 009, दिनांक 21 अक्तूबर, 2009.

विषय:- ग्राम पंचायतों के समक्ष दायर मामलों, वादों और कार्यवाहियों का निपटारा।

महोदय/महोदया,

मुझे आपके ध्यान में यह लाना है कि हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय में श्री नारायण सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या 1697/2007 मे यह मुददा उठाया गया है कि ग्राम पंचायम के समक्ष संस्थित (दायर) मामलों, वादों और कार्यवाहियों का निपटारा समय पर नहीं हो रहा है, जिसका विभाग ने कड़ा नोटिस लिया है। अत: समय पर न्यायिक कर्तव्यों को निभाने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए जाते हैं:-

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 60 की उप धारा (4) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) और भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36), ग्राम पंचायत के समक्ष किसी वाद, मामले या कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे, सिवाय उसके जैसा कि इस अधिनियम में उपबन्धित है या जो विहित किया जाए। इस बारे में रीति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 59 में विहित की गई हे जिसके प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के समक्ष संस्थित (दायर) प्रत्येक वाद, मामला या कार्यवाही

का अन्तिम रूप से निपटान साधारणतय: यथास्थिति इसके संस्थित किए जाने से या ग्राम पंचायत को इसके अन्तरण से, तीन मास की अवधि में किया जाएगा। यदि इस अवधि में इसका विनिश्चय नहीं किया जाता, तो ग्राम पंचायत यथास्थिति मामलों, वादों या कार्यवाहियों से सम्बन्धित रजिस्टर में देर होने के कारणों को अभिलिखित करेगी। अधिनियम, 1994 की धारा 57 के प्रावधानुसार कोई विधि व्यवसायी (वकील) किसी वाद, मामले या कार्यवाही में किसी भी पक्षकार की ओर से ग्राम पंचायत के समक्ष हाजिर, पैरवी या कार्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा(1) के खण्ड (घ) में प्रावधान है कि ग्राम सभा, सभा क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और मिलाप को बढ़ावा देगी। इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों का यह कर्तव्य है कि ग्राम सभा क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को सस्ता और तुरन्त न्याय प्रदान किया जा सके ताकि सभी वर्गों के बीच एकता और मिलाप को बढ़ावा मिले। अत: ग्राम पंचायत उपरोक्त नियम 59 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने समक्ष संस्थित (दायर) प्रत्येक वाद, मामला या कार्यवाही का अन्तिम रूप से निपटान यथासमय करना सुनिश्चित करें।

अत: ग्राम पंचायत के समक्ष संस्थित (दायर) प्रत्येक वाद, मामला या कार्यवाही की प्राप्ति और उनके अन्तिम रूप से निपटान और मामलों, वादों या कार्यवाहियों के निपटान में तीन मास से अधिक देर होने के कारणों बारे रिर्पोट, जिसमें यह दर्शित किया जाए कि तीमाही में कितने मामले दायर हुए हैं, कितने तीन मास की समय सीमा में निपटाए गए हैं और कितने तीन मास की समय सीमा से अधिक की अवधि में निपटाए गए हैं, प्रधान व पंचायत सचिव/सहायक, ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी हेतु प्रस्तुत करेगा।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत, पंचायत सचिव/पंचायत सहायक समस्त रजिस्ट्रों क्रमश: प्ररप 20, 21 व 22 पर सिविल वादों, फौजदारी मामलों और राजस्व कार्यवाहियों के रजिस्टर, प्ररूप 23, 24 और 25 पर सिविल, अपराधिक और राजस्व मामलों के निर्णयों को अभिलिखित करेगा और यदि इस बारे में कोई कोताही पाई जाती है तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

3. पंचायत निरीक्षक/उप निरिक्षक, पंचायत निरिक्षण के दौरान पंचायतों द्वारा न्यायिक मामलों के निपटारे बारे विशेष टिप्पणी प्रस्तुत करने के साथ-साथ तीन मास से अधिक समय से निर्णय हेतु लम्बित मामलों का विवरण उनके लम्बित होने के कारणों सहित खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

4. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत के समक्ष दायर मामलों, वादों और कार्यवाहियों में से ग्राम पंचायत द्वारा निपटाए गए मामले, वाद और कार्यवाहियों तथा निपटारे हेतु लम्बित मामलों, वादों और कार्यवाहियों से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा पंचायत सचिवों/ पंचायत निरीक्षक/उप निरिक्षक की मासिक बैठक में करेंगे।

भवदीय,

निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।